

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम म.प्र.
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सामग्री प्रदाय हेतु

निविदा शर्ते

भाग-1

- 1 निविदा प्रपत्र म0प्र0शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।
- 2 यह निविदा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल म0प्र0 अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 3 सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
- 4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	https://mptenders.gov.in पर प्रकाशन दिनांक व समय से	
02	Document Sale Start Date		
03	Bid Submission Start Date		
04	Bid Submission End Date	24/04/2026	12:00 PM
05	Bid Opening Date	25/04/2026	12:00 PM

5 प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र कर मूल्य रूपये राशि 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) तथा अमानत की राशि रूपये 30000/- (रूपये तीस हजार मात्र) है, जिसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया -2 के लिये योग्य माना जायेगा। जमा की गई ऑनलाईन अमानत की राशि निविदा उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी। चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रू.500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सामग्री की सत्यंकार की राशि सामग्री के लिये भाग-2 में दर्शित तालिका अनुसार प्रत्येक सामग्री के लिए राशि 30000/- (रूपये तीस हजार मात्र) का एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल कार्यालय नर्मदापुरम में जमा सत्यंकार की राशि निविदा की अवधि पूर्ण होने के उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी। म0प्र0 भंडार तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियमानुसार अमानत व सत्यंकार की राशि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम व स्टार्टअप को छूट रहेगी।

6 प्रक्रिया -2: तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है।

7 प्रक्रिया -3: तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

भाग-2

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. पिछले तीन वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से कोई भी तीन वर्ष) का आयकर रिटर्न (ITR) जमा का प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
2. पिछले दो वर्ष (2024-25 एवं 2025-26) का जी.एस.टी. टेक्स रिटर्न जमा करने का चाटर्ड अकाउन्टेंट प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-1 अनुसार)
4. चाटर्ड अकाउन्टेंट प्रमाणित टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. सामग्री का अनुमानित निविदा मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में क्रय की गई समान सामग्री के आधार पर किया गया है जो इस वर्ष (2026-27) में आवंटित बजट के अनुरूप परिवर्तित हो सकता है। अतः विगत तीन वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का औसत वार्षिक टर्न ओव्हर अनुमानित निविदा मूल्य के दो गुने से कम नहीं होना चाहिए।
6. परिस्थिति अनुसार अधिकतम तीन निविदाकारों को कार्य आदेश जारी किया जा सकता है परन्तु यह आदेश निविदाकार द्वारा एल-1 की स्वीकृत दर पर सामग्री प्रदाय करने पर अपनी सहमति दिये जाने के उपरांत घटते क्रय में किया जावेगा।
7. फर्म का वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
8. फर्म का एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संलग्न करें। साथ ही यदि निविदाकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसका एस.सी./एस.टी. का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-2 अनुसार) संलग्न करें।
10. निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही है उस सामग्री का निविदाकार के पास होना चाहिए :-
 - (i) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव :-
 - (क) तीन समान कार्य जिसके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या
 - (ख) दो समान कार्य जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या

(ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदा दी गई है।

अथवा

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वनविभाग मध्यप्रदेश में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30 प्रतिशत राशि के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

यहां समान कार्य से तात्पर्य सामग्री लोहा (सरिया) से है।

उक्त शर्तों के आधार पर अनुभव संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/- वापसी योग्य नहीं है।

11. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हो, तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के " इंडियन पार्टनरशिप एक्ट " के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

12. इस निविदा की सामग्री कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।

14. निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।

15. निविदा में दी गई दरों की अवधि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु होगी। उक्त दरों की अवधि आगामी टेंडर होने तक बढ़ाई जा सकती है परन्तु यह अवधि वर्ष 2026-27 के पश्चात केवल तीन माह के लिये ही बढ़ाई जा सकती है।

16. चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर अनुबंध निष्पादित कर दिये जाने वाली सामग्री की निम्नानुसार धरोहर राशि का बैंक एफ.डी.आर./ डिमाण्ड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

17. सभी निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमंडल सामान्य नर्मदापुरम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना होगा। पूरा प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना होगा।

18. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

19. संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) -

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदायें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी :-
2. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जायेगा और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा।
3. निविदा और सफल निविदा के मामले, समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
4. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों की ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा।
5. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन के लिये संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लेखित प्रधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल बोली के मामले में)
6. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधन नहीं किया जाना चाहिये।
7. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
8. निविदा के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदण्डों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिये संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जायेंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
9. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
10. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले साझेदार की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

11.संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुये समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिये निर्देशों गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

12.संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें :-

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म 'ए' (प्रमुख भागीदार)	फर्म 'बी'	फर्म 'सी'

20-सामग्री का नाम एवं सामग्री स्पेसिफिकेशन :-

क्रं.	सामग्री का नाम एवं स्पेसिफिकेशन	अनुमानित निविदा मूल्य	सत्यंकार की राशि
1	लोहा (सरिया)	1000000	30000
	06 MM		
	08 MM		
	10 MM		
	12 MM		

21-मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के भाग-1 वस्तुओं का उपार्जन के बिन्दु क्रमांक 23 अनुसार प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को प्राथमिकता हेतु प्रावधानों का पालन किया जावेगा। स्टार्टअप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रमाण पत्र की कैटेगिरी लोहा (सरिया) से संबंधित हो।

22- यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

भाग-3

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. सफल निविदाकर्ता को वन विभाग वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जप्त किया जा सकेगा।
3. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 द्वारा निरस्त किया जा सकता है इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
4. विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
5. सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके स्वयं के व्यय पर वापस मंगानी होगी। कोई भी सामग्री डुप्लीकेट या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट गारंटी रहेगी। निविदाकर्ता को सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में मांग किये जाने पर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त सामग्री वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम के अधिकारिक क्षेत्र में वनमंडलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।
7. सामग्री प्रदाय हेतु ई-निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग और स्टेकिंग व्यय सहित होगी।
9. भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।
10. निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की सामग्री की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में निविदाकारों की आपसी सहमति पर सामग्री की मात्रा को विभाजित कर आदेशित किया जावेगा एवं निविदाकारों की आपसी सहमति न होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
11. स्वीकृत निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक न हो।

12. सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उप वनमंडलाधिकारी /परिक्षेत्र अधिकारी/मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा। निविदा में दर्शित सामग्री को शासकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। आवश्यकतानुसार सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जा सकता है।

13. निविदाकार को उक्त सामग्री कार्य आदेश मिलने के 07 दिवस के अंदर प्रदाय किया जाना होगा। प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिसमें मापन में सुविधा हो। यदि निविदाकार के द्वारा दिये आपूर्ति स्थल पर सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है या अन्य स्थल पर सामग्री प्रदाय की जाती है तो प्रदाय सामग्री मान्य नहीं की जावेगी। यदि सफल निविदाकार आपूर्ति स्थल पर सामग्री देने में असमर्थ है तो नियमानुसार निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

14. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा।

15. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कोई फर्म शून्य/प्रतिफल उद्धृत प्रतिफल या तो बेहद कम या बेहद उच्च है जो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

16. निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/- रूपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।

17. किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

18. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

19. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

20. दरें स्वीकृत होने पर Specification अनुसार बिल के साथ सामग्री प्रदाय किया जाना होगा।

21. सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देना होगा।


22. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 का निर्णय अंतिम होगा।

23. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 का होगा।

24. समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र नर्मदापुरम रहेगा।

25. निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें जी.एस.टी. रहित होगी।

26.किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में म0प्र0 भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2024-25/10-3/2776 दिनांक 20/09/2024 के नियमों का पालन किया जावेगा।



वनमंडलाधिकारी

नर्मदापुरम (सामान्य) वनमंडल

अनुलग्नक-1

प्रारूप : स्वघोषणा –काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक.....

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
(सामान्य)
नर्मदापुरम (म0प्र0)

महोदय,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में घोषण करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण कार्यों के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषण करते हैं कि हमारी कंपनी/फर्म निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम :-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

संगठन की मुहर :-

दिनांक:
स्थान :

अनुलग्नक -2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता मकान क्रमांक :
- गली क्रमांक :
- स्थान :
- जिला :पिनकोड
4. कार्यालय का पता :
- गली क्रमांक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
5. सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :- एफ.डी.आर./ बैंक गारंटी /
- संख्या :दिनांक
- राशि :
- बैंक का नाम :
6. जी.एस.टी.नम्बर :
7. मोबाईल नम्बर :
6. ई-मेल आई.डी. :

निविदाकार के
हस्ताक्षर

घोषणा

मैंपिता/पति.....
घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के
हस्ताक्षर

अनुलग्नक -3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हमजानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमंडल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमंडल के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत है।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने /हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते है।

निविदाकार के
हस्ताक्षर

अनुलग्नक -4
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्रं.

दिनांक.....

प्रति,

मेसर्स

.....

.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

प्रिय श्री,

उपर्युक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रू.में.)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

क. रूपये (अंको में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपयेकेवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी, जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक-5

अनुबंध प्रपत्र अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक को वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :-

- 1- इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढा और समझा जायेगा।
- 2- निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
- 3- निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
- 4- अनुबंध अवधि में निविदाकार द्वारा वन अधिनियमों का उल्लंघन करने या किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर निविदाकर्ता अनुबंध निरस्त कर सकेगा।
- 5- निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 3 से 1
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया गया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त.....की उपस्थिति में।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
नर्मदापुरम (म.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर